# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामा0 अपील सं0 15/2019

1. कालू पुत्र लक्ष्मण
2. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण
   जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राज0

..अपीलांट

बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव, जल एवं भूतल परिवहन मंत्रालय, सडक परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परियोजना कार्यान्वयन अधिकारी इकाई जयपुर डी–148, आर.एस.ई.बी. सब स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर राज0 जरिये परियोजना कार्यान्वयन अधिकारी जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
4. तहसीलदार तहसील दौसा
5. भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त खासा कोठी के पीछे, जयपुर

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 160 (क्रमांक 16) दिनांक 25.6.2000 तहसीलदार तहसील दौसा/नायब तहसीलदार दौसा जिला दौसा

उपस्थित–1. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांकः 21.7.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने तहसीलदार, दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 160 दिनांक 25.6.2000 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण को नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जिस कारण से अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट्स को उक्त जानकारी दिनांक 24.5.2019 को हुई थी जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 27.5.2019 को नकलें प्राप्त हुई व अधिवक्ता से सलाह लेकर अपील तैयार करवाई गई। इस प्रकार अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार करने एवं डिले कन्डोन फरमाई जावे। बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

...निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

मूल नामान्तरण अपील पर अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा में भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.89है. के खातेदार अपीलांट्स है एवं उक्त खसरा नंबर की भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि में से कोई भी भूमि भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के लिए अवाप्त नहीं हुई ना ही ऐसी अवाप्ति के लिए कोई मुआवजा राशि अपीलांट्स को प्राप्त हुई। वास्तविकता यह है कि दिनांक 14.4.2001 के आस पास रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में स्थित इन्जीनियरिंग विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 488 रकबा 1.97है. किस्म गै0मु0 पाल की भूमि थी जिसे तत्समय भूमि अवाप्ति अधिकारी ने खसरा नंबर 488 रकबा 1.97है0 में से 0.57है. भूमि अवाप्त की गई थी एवं उक्त भूमि को अवाप्त कर भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को दी गई थी। तत्पश्चात नामा0 सं0 160 जो भूमि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के लिए अवाप्त की गई भूमियों के लिए खोला गया था एवं सहवन एवं लिपिकीय भूल से खसरा नंबर 488 के स्थान पर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.89है. में से 0.57है0 भूमि का नामा. भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम खोल दिया गया व खसरा नंबर 438/1 रकबा 0.57है. भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि 438 रकबा 0.89है. में से न तो कोई रकबा अवाप्त किया गया ना ही भूतल विभाग को अवाप्ति में दिया गया। लेकिन लिपिकीय भूल से जो नामान्तरण खोला गया उसके आधार पर सभी राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 438 रकबा 0.89है. भूमि जो कि अपीलांट्स की खातेदारी में है में से 0.57है. भूमि को कम करके केवल 0.32है. भूमि ही अपीलांट की खातेदारी में रही एवं बाद में दोनों अपीलांट्स के मध्य जो तकास्मा हुआ उसमें रकबा 438 में 0.16है. व 438/2 में 0.16है. दर्ज कर दिया। जब कोई भूमि अपीलांट्स की खातेदारी में से अवाप्त नहीं की गई तो अपीलांट की भूमि को अवाप्ति के आधार पर खातेदारी से कम नहीं किया जा सकता एवं नामान्तरण के कॉलम नं. 14 में जिस भूमि अवाप्ति के आदेश का विवरण दिया गया है ऐसा भी किसी आदेश में खसरा नंबर 438 में से 0.57है. भूमि अवाप्त नहीं की गई लेकिन लिपिकीय भूल से सहवन से इसे 488 के स्थान पर 438 पढ लिया गया। इसके अतिरिक्त नामा. के कॉलम सं0 16 में भी जिस भूमि अवाप्ति के आदेश का हवाला दिया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं है बल्कि वह खसरा नंबर 488 के संबंध में है। अपीलांट्स गरीब काश्तकार अनपढ लोग है जो केवल साक्षर है। उन्हें कभी भी इस तथ्य का पता नहीं चल सका कि उनकी 0.57है. भूमि रिकार्ड में गलत तौर से भूतल परिवहन सडक मंत्रालय के नाम दर्ज कर दी गई है। चूंकि 0.57है. भूमि में होकर कोई किसी प्रकार की कोई सडक नहीं निकली और ना ही सडक का निर्माण हुआ है, इसलिए अपीलांट्स को इस संबंध में किसी प्रकार का अविश्वास नहीं हुआ एवं अपीलांट्स सद्भावी तौर पर अपनी खातेदारी भूमि के रकबा 0.89है. पर पूर्व की भांति आज भी काबिज चले आ रहे है। अपीलांट्स को उक्त बात की जानकारी दिनांक 24.5.2019 को पटवारी हल्का के माध्यम से जानकारी हुई कि उनकी 0.57है. भूमि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की खातेदारी में दर्ज हो गई है एवं खसरा नंबर 438/1 भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सकरार की नई दिल्ली के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिस पर पटवारी हल्का से नामा. सं.160 की नकल प्राप्त की एवं अपने पुत्र के माध्यम से भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर से नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने खसरा नंबर 488 रकबा 1.97है. में से 0.57है. भूमि अवाप्त की गई थी व सहवन से खसरा नंबर 488 के स्थान पर खसरा

...निरंतर 3 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

नंबर 438 में से 0.57है. का अवैध नामा0 438/1 के रूप में खोल दिया । उक्त नामा. खोलने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। तहसीलदार/नायब तहसीलदार दौसा द्वारा नामा0 बाबत खसरा नंबर 438 रकबा 0.89है. 438/1 रकबा 0.57है.नामान्तरण सं0 160 कमांक 16 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। किसी खातेदार की भूमि उसके खाते से हटाकर किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के खाते में डाली जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को पहले सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक होता है। प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए गुपचुप तरीके से उनकी 0.57है. भूमि को कम करके भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को कथित तौर पर अवैध नामान्तरण के द्वारा खातेदारी में दे दिया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से 0.57है. भूमि न तो अवाप्त हुई ना ही किसी व्यक्ति को उसका मुआवजा दिया गया। फिर भी प्रश्नगत नामा0 के कॉलम सं0 14 व 16 का गलत आशय निकालकर अपीलांट्स की बहुमूल्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 का नामा0 रेस्पों0 सं0 1 के हक में खोलकर कानूनी गलती की है। वर्ष 2001 में बहुत सारी भूमियॉ भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा अवाप्त की गई थी तथा अपीलाधीन नामान्तरण बहुत सारी भूमियों का एक साथ खोला गया था। भूमि अवाप्ति के रिकार्ड के अनुसार यह प्रमाणित है कि खसरा नंबर 488 में से 0.57है. भूमि अवाप्त हुई लेकिन नामा0 सं0 160 जो खोला गया है उसमें खसरा नंबर 488 का कोई रिकार्ड नहीं है। खसरा नंबर 488 का कोई नामान्तरण नहीं खोला गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 438 में से न तो कोई भूमि अवाप्त की गई है और ना ही कोई रोड निकाला गया है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं एवं प्रश्नगत नामान्तरण अपीलांट्स के पीछे से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना खोला गया है। अपीलांट्स प्रश्नगत नामा0 आदेश से सीधे प्रभावित पक्षकार एवं एग्रीव्ड पर्सन है तथा धारा 96 सीपीसी के तहत एग्रीव्ड पर्सन होने के कारण अपील पेश करने के अधिकारी है। अतः अपील अपीलाट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामा0 सं0 160 (कमांक 16) दिनांक 25.6.2000 तहसीलदार/नायब तहसीलदार दौसा निरस्त फरमाया जावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त प्रथम जयपुर ने रिपोर्ट कमांक:499 दिनांक 8.1.2020 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि खसरा नंबर 488 अवाप्त रकबा 0.57है. गै0मु0 पाल जो कि सडक दौसा से मनोहरपुर एन.एच.11 ए की भूमि अवाप्ति में आया है तथा उक्त खसरा नंबर ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा का है। उक्त खसरा नंबर 488 रकबा 0.57है. के बजाय तहसील दौसा द्वारा सहवन से खसरा नंबर 438 रकबा 0.57है. का नामान्तरण भूतल परिवहन मंत्रालय (सडक) के नाम खोल दिया है जो गलत है। भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त प्रथम जयपुर ने रिपोर्ट के साथ पारित अवार्ड, नक्शा व मुआवजा खतौनी की छाया प्रति प्रेषित की गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में से दौसा से मनोहरपुर एन.एच. 11 ए निर्माण हेतु खसरा नंबर 488 में से 0.57है. भूमि अवाप्त की गई थी। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरण के द्वारा खसरा नंबर 438 जो कि अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से रकबा 0.57है. भूमि का नामान्तरण भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के नाम अंकित कर दिया। खसरा नंबर 438 में से कोई भूमि अवाप्त नहीं हुई है ना ही उक्त भूमि का मुआवजा आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...निरंतर 4 पर

जिला कलक्टर,दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ने दौसा से मनोहरपुर एन.एच.11 ए हेतु ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में से खसरा नंबर 488 किस्म गै0मु0 पाल में से 0.57है. भूमि अवाप्ति की गई थी। अपीलाधीन नामा. सं0 160 के द्वारा तहसीलदार दौसा ने खसरा नंबर 488 के स्थान पर खसरा नंबर 438 का नामान्तरण भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया। भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर वृत्त प्रथम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं अवार्ड एवं खतौनी ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार भी ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नंबर 488 में से 0.57है. भूमि अवाप्त की गई थी। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 में से कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई थी और ना ही उक्त भूमि का कोई मुआवजा आदेश पारित किया गया था। यह निर्विवादित है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नंबर 488 के स्थान पर सहवन से खसरा नंबर 438 रकबा 0.57है. जो कि अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज है, का अंकन भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के नाम दर्ज कर दिया जो निरस्तनीय है। हम अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण सं. 160 को खसरा नंबर 438 के अंकन की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 438 का सहवन से भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम किये गये अंकन को निरस्त कर खसरा नंबर 488 रकबा 0.57है0 भूमि जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इन्जीनियरिंग विभाग के नाम रिकार्ड है, का अंकन भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज किया जावे। साथ ही खसरा नंबर 438 रकबा 0.57है. अपीलांटस खातेदारी में पुनः दर्ज किया जावे। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 21 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा